



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 361 राँची, गुरुवार, 31 आषाढ़, 1943 (श०)
22 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

20 जुलाई, 2021

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध-04/18-2494/रा०,--भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37, सन् 1948) के तहत जनगणना नियम 1990 के नियम-8 (IV) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी जनगणना के लिए झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाईयों यथा: जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/छावनी परिषद्/वार्ड/पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में परिवर्तन की तिथि दिनांक-31.12.2019 तक निर्धारित की गयी थी

(2) COVID-19 महामारी के कारण उक्त प्रशासनिक इकाईयों की सीमा में परिवर्तन की तिथि को समय-समय पर अर्थात् दिनांक-31.12.2020, दिनांक-31.03.2021 तथा दिनांक-30.06.2021 तक विस्तारित की गयी ।

(3) वर्तमान में COVID-19 महामारी एवं राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में चल रहे टीकाकरण अभियान को दृष्टिपथ में रखते हुए निदेशक, (जनगणना, NPR/NRC) भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय के पत्रांक-9/7/2019-CD (CEN), दिनांक-05.07.2021 के द्वारा प्रशासनिक इकाईयों में परिवर्तन की

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-30.06.2021 को दिनांक-31.12.2021 तक विस्तारित करने का निर्णय संप्रेषित है ।

(4) अतः प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में उक्त प्रशासनिक इकाईयों की सीमा में परिवर्तन की तिथि को दिनांक-31.12.2021 तक विस्तारित की जाती है । अर्थात् दिनांक-31.12.2021 के बाद प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जाएगा। दिनांक-31.12.2021 तक प्रशासनिक इकाईयों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना की प्रति संबंधित उपायुक्त/विभाग, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,

अपर मुख्य सचिव-सह-

राज्य समन्वयक (जनगणना) ।
